No Dues Certificates for Houses/Plots

***3 Shri Aseem Goyal Neneola, MLA (Ambala City):**

Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether the no dues certificates in respect of sale and purchase of houses/plots are being issued timely by the Municipal Corporation, Ambala City, if not, the reasons therefor?

DR. KAMAL GUPTA, URBAN LOCAL BODIES MINISTER

Yes Sir, the Department of Urban Local Bodies through its online portal (i.e., www.ulbhryndc.org) has created an online mechanism for generation of No Dues Certificate subject to clearance of all kinds of dues mentioned in the portal and thus the No Dues Certificate is generated automatically. There is no provision for issuance by any authority / official of any municipality as the same is auto generated. Thus, any citizen who clears there pending dues on the same portal will automatically get the No Dues Certificate which is required for the purpose of registration of property as mandated by the government because the Web-HALRIS portal of Revenue Department is fully integrated with the No Dues Certificate portal.

घरों/प्लाटों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र

***3 श्री असीम गोयल नन्न्योला (अंबाला शहर):**

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृप्या बताएंगे कि क्या नगर निगम अम्बाला द्वारा घरों/प्लाटों की बिक्री तथा खरीद के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र समय पर जारी किए जा रहे हैं; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

डॉ0 कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

हां महोदय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने अपने ऑनलाइन नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल (i.e., www.ulbhryndc.org) के माध्यम से सभी प्रकार के बकायों की अदायगी उपरान्त नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने की एक ऑनलाइन प्रक्रिया बनाई हुई है और पोर्टल दर्शाये गये बकाया कर/फीस/चार्जिज की अदायगी उपरान्त नो ड्यूज सर्टिफिकेट स्वतः जारी हो जाता है। नो ड्यूज सर्टिफिकेट को स्थानीय निकायों के प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह स्वतः जारी हो जाता है। इस प्रकार, कोई भी नागरिक जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल पर बकाया देय राशि का भुगतान करता है, तो उसे नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है, जो कि सरकार द्वारा संपत्ति के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए आवश्यक किया हुआ है। राजस्व विभाग का वेब–हेलरिस पोर्टल पूरी तरह से शहरी स्थानीय निकाय विभाग के नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है।